पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 2/2025

अनवान :

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. विजेन्द्र कुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. उदमीराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. दिव्या पुत्री उदमीराम पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा मूर्ति चौक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र मोठसरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सलमान खान की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता संख्या 142/48 के खसरा संख्या 129, 262, 289, 320, कुल खसरा 4 की 10.4070 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 448/206 के खसरा संख्या 106, 125, 128, कुल खसरा 3 की 6.3230 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 उदमीराम अकेले की बजाय वादी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह वादी संख्या 2 विजेन्द्र कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 1 उदमीराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:28:09 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

करण सं0 : 2/2025

नवान :

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. विजेन्द्र कुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. उदमीराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. दिव्या पुत्री उदमीराम पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा मूर्ति चौक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री रविन्द्र मोठसरा : **वादीगण**

वकील श्री सलमान : **प्रतिवादी सं0 1, 2**

निर्णय **दिनांक :** 25-04-2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता संख्या 142/48 के खसरा संख्या 129, 262, 289, 320, कुल खसरा 4 की 10.4070 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 448/206 के खसरा संख्या 106, 125, 128, कुल खसरा 3 की 6.3230 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा रामजस की खातेदारी हुआ करती थी जो रामजस के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 तथा 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में विजेन्द्र कुमार पुत्र उदमीराम जाति [illegible]सी मोठसरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में [illegible] संख्या 142/48 संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा भनाई [illegible] संख्या 448/206 संवत 2074–77 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा मोठसरा खाता संख्या [illegible]/48 संवत 2032–35 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा भनाई खाता संख्या 194 संवत 2029 से 2033 प्रदर्श 4 तथा सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मोठसरा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:28:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा मोठसरा तथा भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा मोठसरा के खाता संख्या 142/48 के खसरा संख्या 129, 262, 289, 320, कुल खसरा 4 की 10.4070 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 448/206 के खसरा संख्या 106, 125, 128, कुल खसरा 3 की 6.3230 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 उदमीराभ अकेले की बजाय वादी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह वादी संख्या 2 विजेन्द्र कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 1 उदमीराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता संख्या 142/48 के खसरा संख्या 129, 262, 289, 320, कुल खसरा 4 की 10.4070 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 448/206 के खसरा संख्या 106, 125, 128, कुल खसरा 3 की 6.3230 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 उदमीराम अकेले की बजाय वादी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह वादी संख्या 2 विजेन्द्र कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 1 उदमीराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:28:09 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner